न्यायालय बईजलास रागिनी डामोर आर.ए.एस. उपखंड अधिकारी बेगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज०)

प्रा.पत्र संख्या ::– 126/2017

रतनलाल उर्फ कन्हैयालाल पिता लखमा जी धाकड़, आयु वयस्क, निवासी ठुकराई, तहसील बेगूँ, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) .... प्रार्थी

बनाम

1. मांगीलाल पिता लखमा जी धाकड़ आयु वयस्क निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
2. देबीलाल पिता प्यारा जी धाकड़ आयु 52 साल निवासी चंदाखेड़ी, तहसील बेगूँ
3. डालू पिता डूंगा जी धाकड़ उम्र वयस्क, निवासी ठुकराई, तहसील बेगूँ
4. मांगी पिता डूंगा जी धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
5. भंवरी बाई पति शंभुलाल जी धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
6. हीरा पिता रूपा जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
7. शिवलाल पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
8. कन्हैयालाल पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
9. सत्यप्रकाश पिता चुन्नीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
10. मोडीराम पिता लखमा जी धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
11. कस्तूरी पिता मदन जी जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
12. रामलाल पिता भंवरलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी ठुकराई तहसील बेगूँ
13. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार, बेगूँ जिला चितौडगढ़ ... विपक्षीगण

सत्यमेव जयते

उपस्थित ::– श्री वी.पी. शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश दिनांक : 03.01.2017

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया कि :–

यह कि मौजा ठुकराई, प.ह. ठुकराई तहसील बेगूँ में निम्न कृषि आराजी प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 के सह खातेदारी से राजस्व रेकार्ड में अंकित है, जिसमें प्रार्थी का नाम रतनलाल पिता लखमा के रूप में दर्ज है जिसका विवरण निम्न है :–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा (हैक्टर)
482	224	0.2020
	300	0.0650
	558	0.2750
	650	0.1210
	769	0.2270
	770	0.2020
	966	0.2430
	1088	0.2270
	1460	0.0320
	1462	0.0400
	1497	0.0890
	1508	0.0970
	1509	0.0970
	1772	0.0970
	1773	0.0650
	2236	0.1380
	2237	0.1130
	2242	0.0890
	2243	0.0730
	2244	0.1620
	2254	0.0240
	2255	0.0240
	2257	0.1860
	कुल किता – 23	रकबा 2.8880 है0

क्रमश : ...2

यह कि मौजा ठुकराई, प.ह. ठुकराई तहसील बेगूँ की निम्न कृषि आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम रतनलाल पिता लखमा दर्ज है, विवरण निम्न है :–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा (हैक्टर)
479	211	0.2430
	212	0.2840
कुल किता – 23	रकबा	0.5270 है0

यह कि मौजा ठुकराई, प.ह. ठुकराई तहसील बेगूँ के खाता संख्या 162 में आराजी चाह नंबर 1463 रकबा 0.0970 है0 व खाता संख्या 583 में आराजी चाह संख्या 1771 रकबा 0.0570 है0, प्रार्थी एवं विपक्षीगण एवं अन्य सह खातेदारान के संयुक्त सहखातेदारी में दर्ज है जिसमें प्रार्थी का नाम रतनलाल पिता लखमा के रूप में दर्ज है।

प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक दोनों सगे भाई हैं जिनका वंशवृक्ष का सजरा निम्न है :–

लखमा (फौत)

तुलसी बाई (फौत)	मांगीलाल विपक्षी संख्या–1	रतनलाल उर्फ कन्हैयालाल (प्रार्थी)

यह कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या एक के पिता स्व. लखमा जी का देहावसान जब मैं प्रार्थी बहुत ही छोटा था तभी हो गया, उस समय मुझ प्रार्थी को रतनलाल उर्फ कन्हैयालाल के नाम से बोलते थे जिस कारण राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों ने स्व. लखमा जी की मृत्यु के समय जो नामांतरकरण खोला था, उसमें प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों की गलती से केवल रतनलाल लिख दिया गया।

यह मृतक लखमा जी के दो संतानें ही हैं जिसमें एक प्रार्थी एवं दूसरा विपक्षी संख्या एक है। इसके अलावा लखमा जी के अन्य कोई संतान नहीं है एवं ग्राम ठुकराई में रतनलाल पिता लखमा जी नाम का प्रार्थी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति नहीं है।

यह कि प्रार्थी का राशनकार्ड, फोटो पहचान पत्र में नाम कन्हैयालाल पिता लखमा जी धाकड़ है तथा राजस्व नकलों में रतनलाल पिता लखमा जी धाकड़ होने के कारण प्रार्थी को राजस्व परिलाभों से वंचित होना पड़ रहा है एवं प्रार्थी को अन्य परेशानियाँ उत्पन्न हो रही है। इस प्रकार कन्हैयालाल पिता लखमा, रतनलाल पिता लखमा जी अलग–अलग नहीं होकर प्रार्थी अकेला ही एक व्यक्ति है, जिस कारण राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी को बोलता नाम रतनलाल लिख दिया था, जो राजस्व कर्मचारियों की एक लिपिकीय भूल है।

यह कि प्रार्थी को जब दिनांक 06/09/2017 को बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन के लिए पटवार हल्का ठुकराई से नकल जमाबंदी प्राप्त की तो जानकारी हुई कि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का जन्म का बोलता नाम रतनलाल ही लिखा हुआ है। इस प्रकार दिनांक 06/09/2017 को वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात में प्रार्थी का नाम रतनलाल राजस्व कर्मचारियों की गलती से लिखा दिया है जिसे सुधार कर रतनलाल उर्फ कन्हैयालाल के रूप में सुधारे जाने हेतु एवं उक्त रतनलाल उर्फ कन्हैयालाल का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान् में पेश है।

क्रमश : ... 3

अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम ठुकराई प.ह. ठुकराई तहसील बेगूँ के खाता संख्या 482, 479, 284, 162, 583 में प्रार्थी के नाम रतनलाल के बजाय रतनलाल उर्फ कन्हैयालाल पिता लखमा जी धाकड़ के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया। बावजूद सूचना विपक्षीगण संख्या 1 से 12 न्यायालय में हाजिर नहीं आने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। जरिये प्रतिवादी संख्या–13 पैरोकार सरकार तहसीलदार बेगूँ भूमिधारी पटवार हल्का की रिपोर्ट ली गयी, जो कि तहसीलदार बेगूँ द्वारा दिनांक 19.12.2017 को पेश की गयी। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थी एवं विपक्षीगण क्रमशः मांगीलाल, रामलाल व देवीलाल के साक्ष्य हेतु शपथ–पत्र व पहचान दस्तावेज पेश किये गये। उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण मांगीलाल, रामलाल व देवीलाल को सुना गया एवं वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी जाकर पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार बेगूँ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 19.12.2017 एवं उपस्थित प्रार्थी व विपक्षीगण क्रमशः मांगीलाल, रामलाल व देवीलाल द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत होकर पेश किये गये लिखित साक्ष्य हेतु शपथ–पत्र तथा वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस से यह सिद्ध पाया जाता है कि प्रार्थी कन्हैयालाल पिता लखमा धाकड़ का ही अन्य बोलता नाम रतनलाल पिता लखमा धाकड़ है एवं रतनलाल पिता लखमा धाकड़ नाम का कोई अन्य व्यक्ति मौजा ठुकराई प.ह. ठुकराई में नहीं रहता है। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम रतनलाल के बजाय रतनलाल उर्फ कन्हैयालाल पिता लखमा धाकड़ किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाकर मौजा ठुकराई पटवार हल्का ठुकराई तहसील बेगूँ की खाता संख्या 482, 479, 284, 162, 583 में प्रार्थी रतनलाल पिता लखमा धाकड़ का नाम रतनलाल उर्फ कन्हैयालाल पिता लखमा धाकड़ राजस्व रेकार्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश आज दिनांक 03.01.2018 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(रागिनी डामोर)
उपखंड अधिकारी, बेगूँ